न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ) शिवगंज जिला सिरोही

बइजलास पीठासीन अधिकारी भागीरथ राम, आर0ए0एस0

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1ओबाराम पुत्र रामारामजी जति मेघवाल निवासी उथमण		1.वीरामराम पुत्र खेताराम जाति मेघवाल निवासी उथमण तहसील शिवगंज 2.जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) शिवगंज

मु.स0 22/2020

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश

दिनांक 01.02 .2021

उपरोक्त अनवान प्रकरण में प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता के एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी एंव कब्जा काश्त की कृषि आराजी सरहद मौजा उथमण तहसील शिवगंज के खसरा नम्बर 741 रकबा 04–01 बीघा किस्म ब.3 मे स्थित है। उक्त कृषि आराजी भूमि मे प्रार्थी कदमी से अपने खेत पर फसल बोने जोतने हेतु टैक्टर लाने व ले जाने हेतु रास्ता पुराने समय से चला आ रहा है प्रार्थी उसी का उपयोग व उपभोग करता आ रहा था। वर्तमान नक्शा ट्रेस के अनुसार उथमण से पालडी एम जाने हेतु रोड से खसरा नम्बर 742/1 की पूर्वी माठ मे से होकर खसरा संख्या 741 मे आना जाना होता था जिस रास्ता को संलग्न नजरी नक्शा मे मार्क ए–बी–सी–डी से दर्शाया गया है। उक्त रास्ता 4 मीटर चौडा है जो पिछले कई वर्षो से चला आ रहा है जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थी ही अपनी खातेदारी मे टेक्टर व बैलगाडी व आने जाने हेतु रास्ता के रूप मे उपयोग करता आ रहा है। वर्तमान मे रास्ता को अप्रार्थी संख्या एक द्वारा रोक दिया गया तथा मौके पर खाई खोदकर लकडिया व कांटे लगाकर रास्ता को अवरूद्व कर दिया जाने से खातेदारी भूमि पर जाने व टेक्टर साधन ले जाने मे असुविधा हो रही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को अपने खातेदारी व कब्जे काश्त भूमि पर जाने हेतु अप्रार्थी सख्या एक वीराराम की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 742/1की पूर्वी माठ से संलग्न नक्शा मे वर्णित मार्क ए से डी तक रास्ता दिलाने का आदेश फरमावे।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र दिनांक 25.8.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस एंव तहसीलदार शिवगंज को राजस्थान अभिघृति अधि. 1955 की धारा 251–क की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत पत्र जारी किया गया अप्रार्थी व स्टैट को नोटिस तामील होकर प्राप्त। प्रार्थीगण की और से अधिवक्ता मोहब्बतसिह देवडा ने वकालातनामा पेश किया दिनाक 21.12.2020 को तहसीलदार (भूमिधारी) शिवगंज की और से जवाब व मौका जॉच रिपोर्ट के साथ प्रस्तावित मार्ग का नजरी नक्शा इस आशय से पेश कि प्रस्तावित रास्ता 6 मीटर चौडा व 36 मीटर लम्बा है जिसका क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर बनता है तथा निकटवर्ती सरकारी रास्ता खसरा नम्बर 730 से जुडता हुआ व लघुतम दुरी पर है। प्रस्तावित रास्ता मे अन्य कोई संरचना नही है । प्रस्तावति रास्ते की भूमि की जिला कमेटी दर 416178/–रूपये प्रति हैक्टर है जिसके अनुसार कुल किमत 8990/–रूपये बनती है।

प्रार्थना पत्र मे वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। तहसीलदार शिवगंज द्वारा पेश मौका जॉच रिपोर्ट एंव प्रस्तावित रास्ता सम्बंधी नजरी नक्शा [illegible] पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन करने पर तहसीलदार शिवगंज की रास्ता भूमि [illegible] जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि [illegible] रास्ता हेतु 04 मीटर चोडा एंव 36 मीटर लम्बाई तक रास्ता भूमि [illegible] प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.02.18 15:47:38 IST
Reason: SelfAttested

अतः मौजा उथमण के खसरा नम्बर 742/1 रकबा 1–10 बीघा किस्म ब–3 भूमि मे से 144 वर्गमीटर (चौडा 04 मीटर चौडा x 36 मीटर लम्बा) रास्ता भूमि नक्शा संलग्न अनुसार उक्त भूमि को सार्वजनिक रास्ते के लिए स्वीकृत किया जाता है उक्त स्वीकृत की गई भूमि के प्रतिकर की रकम निम्नलिखित रीति से अवधारित करने हेतु तहसीलदार शिवगंज को आदेश दिये जाते है।.............शेष पेज संख्या–दो पर...

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

ओबाराम बनाम वीराराम व अन्य
मु.स.22/2020 अ.धारा 251ए.आरटीएक्ट

(क) राजस्थान स्टाम्प नियम,2004 के नियम 2 के उप नियम (1)के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई दरो या किसी नये मार्ग के खोलने या विधमान मार्ग के विस्तार या चौडा करने के मामले में ,राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 कि उपनियम (2)के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित दरो का दुगुना : और
(ख) उपनियम (1)के खण्ड (क)या (ख)के अधीन अवधारित भूमि के मूल्य के अतिरिक्त ,यदि खडे वृक्ष फसल या संरचना को हटाने के कारण कोई हानि या नुकसान होता है तो वास्तविक हानि या नुकसान की रकम अवधारित की जायेगी ।

प्रस्तावित रास्ता भूमि की D.L.C-दर रू. 416178/–प्रति हैक्टर से 42.00 प्रति वर्गमीटर भूमि का क्षैत्रफल 144 वर्गमीटर x 42.00 =रूपये 6048/– दुगनी राशि = 12096/–रूपये (रूपये बारह हजार छियानवे मात्र) जो राशि प्रार्थी से वसूली योग्य है।

अतः अप्रार्थी की मौजा उथमण की आराजी खसरा नम्बर 242/1 के रकबा में से मार्फत तहसीलदार शिवगंज सलग्न नक्शा मे प्रदर्शित बिन्दु ए से बी तक रास्ता भूमि की अवधारित राशि रूपये 12096/–(**रूपये बारह हजार छियानवे मात्र**) अप्रार्थी से वसूली जाकर अप्रार्थी को भुगतान करे। अप्रार्थी द्वारा यदि उक्त राशि को लेने से इन्कार करे तो सम्बधित मद मे जमा करे तथा जब भी अप्रार्थी उक्त राशि को लेना चाहे तब उसे भुगतान करेगे। तहसीलदार शिवगंज को अप्रार्थी की खातेदारी मे से रास्ता भूमि का रकबा कम कर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी व नजरी नक्शा में किस्म गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता श्री सरकार बिलानाम खाते में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

5म15/59 दि 1.2.2021

प्रतिलिपिःपालनार्थः–
1. तहसीलदार शिवगंज

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.02.18 15:47:38 IST
Reason: SelfAttested

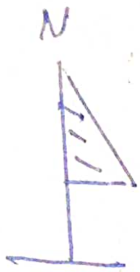

नक्शा ट्रेस लठ्ठा अरठवाडा
तह - शिवगंज
जिला - सिरोही
राज

भीखाराम बनाम पीराराम प अन्य
प्रकरण 22/2020 U/S 251 RTRC

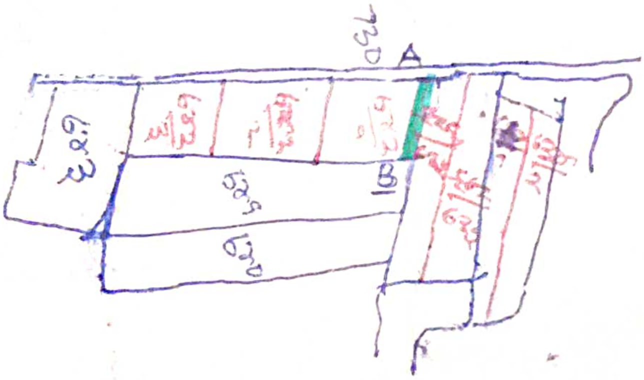

(प्रार्थी ओ बा(प))

राजकीय उपयोग हेतु जारी

7-12-2020

छैलसिंह देवड़ा
पटवारी (भू.अ.) प. मण्डवारिया
तहसील-शिवगंज जिला-सिरोही

तहसीलदार, शिवगंज

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.02.18 15:47:38 IST
Reason: SelfAttested